6308
15/7/15

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री प्रेम रंजन, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक– 834/03, गृह जिला–राँची), तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा मेधाहातुबुरू लौह अयस्क खदान संचालकों के वाहनों के निबंधन कार्य में लापरवाही बरतने, परिवहन टैक्स की चोरी एवं राजस्व की क्षति पहुँचाने संबंधी आरोप, जैसा कि संलग्न प्रपत्र–'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री रंजन के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री रंजन को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री रंजन द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री रंजन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री प्रेम रंजन, झा0प्र0से0 एवं श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रमोद कुमार तिवारी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–496/2014 का० 6308 /राँची, दिनांक 15 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।